विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2025 के लिए निर्धारित श्री शाहनवाज खान, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-7(तारांकित डायरी संख्या-1/20252/381) का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
7- (क) क्या उद्यान मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सहारनपुर के शहर में स्थित कंपनी बाग में सुबह शाम टहलने के लिये आ रहे लोगों से प्रतिदिन 20 रूपये प्रति व्यक्ति शुल्क लिया जा रहा है जिससे उनकी जेब पर डाका डाला जा रहा है जो जनहित में निःशुल्क ही रहना चाहिये?	प्रदेश में उद्यान विभाग के नियंत्रण में राजकीय सार्वजनिक/अलंकृत उद्यान स्थापित हैं। इसके सम्बन्ध में शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक- 20.09.2024 के प्रस्तर- 05 के उप प्रस्तर- 03 द्वारा प्रातः काल व सायं काल के समय टहलने के लिए उद्यान में प्रवेश हेतु उपयुक्त शुल्क का निर्धारण करना एवं प्राप्त धनराशि को उद्यान के रख-रखाव हेतु उपयोग करने संबंधी निर्देश दिये गये हैं। तद्क्रम में मण्डलायुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर की अध्यक्षता में गठित जिला उद्यान विकास समिति की दिनांक- 14.03.2024 को आयोजित 16वीं बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में प्रातः एवं सायं काल भ्रमणकर्ताओं से शुल्क के रूप में रूपये 20 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है।
(ख) क्या उस चार्ज को बंद करवाया जा सकता है?	उद्यानों का रख-रखाव बेहतर बनाते हुये आमजनों को उद्यानों के भ्रमण हेतु आकर्षित करने एवं उद्यान परिसर में अनावश्यक रूप से भ्रमण कर रहे असमाजिक तत्वों पर रोक लगाये जाने हेतु प्रवेश शुल्क लगाया गया है। नियमित भ्रमण करने वाले भ्रमणकर्ताओं को छूट देते हुये अति न्यून शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:- 1. प्रति व्यक्ति 06 माह - रू0 - 600/- 2. प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष - रू० - 1000/- 3. दम्पत्ति 06 माह - रू0 - 800/- 4. दम्पत्ति प्रति वर्ष - रू० 1200/- 5. वरिष्ठ नागरिक 06 माह - रू0 - 100/- 6. वरिष्ठ नागरिक प्रति वर्ष – रू0 150/- 7. भ्रमण कूपन पर्ची - रू0 20/- 8. 06 वर्ष से कम एवं 65 वर्ष से अधिक के लिये निःशुल्क ।
(ग) यदि नहीं, तो क्यों?	उपरोक्तानुसार।

दिनेश प्रताप सिंह

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार),

उद्यान विभाग।